

VINAYAK VIDYAPEETH

Affiliated to CCS University, AKTU, Approved by AICTE & NCTE (A UNIT OF RUDRA GROUP OF INSTITUTIONS)

Ref. No.

Date 15 Feb, wis

POST EVENT	CEMINAD ON MENTAL HEALTH AWARENESS
REPORT	SEMINAR ON MENTAL HEALTH AWARENESS
DATE AND VENUE	14 TH FEB, 2025, MULTIPURPOSE HALL
RESOURCE PERSON	DR.SONI JAIN & INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE OF VINAYAK VIDYAPEETH
NO OF BENEFICIARIES	107 STUDENTS, 14 TEACHERS
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME	 TO PROMOTE UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH ISSUES. TO REMOVE STIGMA RELATED TO MENTAL HEALTH. IMPROVE EMOTIONAL WELL BEING AND RESILIENCE TO INFORM STUDENTS ABOUT AVAILABLE RESOURCES AND SUPPORT SERVICES ON AND OFF CAMPUS
BRIEF REPORT OF THE PROGRAMME	ANTI SEXUAL HARASSMENT CELL ORGANISED AN AWARENESS PROGRAMME RELATED TO MENTAL HEALTH OF STUDENTS. THE MAIN SPEAKER WAS DR.SONI JAIN, A RENOWNED PSYCHOLOGIST AND FOUNDER OF TRACKBOONS, A NON GOVERNMENT ORGANISATION, DR. SONI JAIN DISCUSSED ABOUT VARIOUS ASPECTS OF MENTAL HEALTH LIKE STRESS, DEPRESSION, ANXIETY AND EXPLAINED ABOUT VARIOUS SYMPTOMS OF MENTAL DISORDERS WHICH ARE USUALLY IGNORED AND MAY SOMETIMES LEAD TO SUICIDE. IN THE END DR.SONI JAIN PROVIDED A LINK TO ALL THE STUDENTS FOR A QUESTIOANNAIRE THROUGH WHICH THE MENTAL HEALTH STATUS OF STUDENTS COULD BE ASSESSED.
PROGRAMME OUTCOME	THE PROGRAMME WAS WELL RECEIVED BY ALL THE STUDENTS AND STAFF MEMBERS, STUDENTS MADE USE OF THE QUESTIONNAIRE PROVIDED TO GET BASIC UNDERSTANDING OF THEIR MENTAL HEALTH AND BECAME AWARE OF MINOR UNDERLYING ISSUES THAT MAY AFFECT MENTAL WELL BEING.

Alans 15/1/2025







CIRCULAR

Date...10 feb 2015

This is to inform all Anti Sexual Harassment/ Internal Complaint Committee members and all the HOD's that a meeting will be held in Principal Office on 11 Feb, 2025 at 3:00PM. All must be present for the same

Agenda

- Organizing Programmes for general will being of Students.
- Any other item for discussion.



Copy to

- Principal, Vinayak Vidyapeeth
- HOD's, All Departments.



















APPROVED BY AICTE & NCTE & AFFILIATED TO AKTU & CCSE, MEERUT Internal Complaint Committee

Organising

AWARNESS PROGRAMME

on

MENTAL HEALTH

FRIDAY

14th February, 2024

@ **10.30** AM

FOR MORE DETAILS + 91 91490 14088



Dr. Soni Jain Psychologist, career counsellor & Author Founder @ Trackboons

www.vinayakvidyapeeth.com NH-58, PAWLI KHAS, NEAR POTATO RESEARCH CENTRE, MODIPURAM MESRUT 附 vividhvichar@gmail.com +91-9412143018

Seich VIVIDH VICHAR





R.N.I. भारत सरकार राजिस्ट्रेशन नम्बर UPHIN/2022/83444



हिन्दी समाचार पत्र

विनायक विद्यापीठ मोदीपुरम के इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी ने छात्र-छात्राओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया! जिसमें मुख्य वक्ता सोनी जैन, साइकोलॉजिस्ट उपस्थिति रही!



समाचार - विज्ञापन हेतु संपर्क करें - 9412143018

डा. अलमास रियाज

M.B.B.S., M.D. (Pediatrics) Child Specialist Fx Resident GGSGH, New Delhi Ex Resident Jamia Hamdard, New Delhi

नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ)

हरेन नार्य हाम

पुरानी घास पंडी, निकट खंसारी रोड, मुजपम्प्रतगर 9219400195/ 9259764614

डाः आयशा खालिद

M.B.B.S., M.D. (D.V.L.) Lucknow Dermatologist Skin, Hair & Laser Specialist Ex Resident AIIMS

(चर्म / स्किन रोग विशेषज्ञ

किसी भी तरह का तनाव खुद पर हावी न होने दें : अनुप्रीता



मेरठ, 14 फरवरी (देशवन्यु)। विनायक विद्यापीठ मोदीपुरम के इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी ने छात्र-छात्राओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता सोनी जैन, साइकोलॉजिस्ट उपस्थिति रही, जिनका स्वागत महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने चंदन का तिलक लगाकर किया।

कार्यक्रम की शुरुआत वक्ता द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं फूलमाला अर्पित कर की गई। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनुप्रीता शर्मा, डीन एकता सिंधु एवं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रवीन शर्मा उपस्थित रहे। वक्ता सोनी जैन ने छात्र-छात्राओं को स्ट्रेस, डिप्रैशन एवं एंजाइटी के बारे

गानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

में जानकारी दी और इस मानिसक बीमारी के कुछ लक्षण भी बताइए जिसमें ज्यादा सोचना, घबराहट, खाने या सोने के पैटर्न में बदलाव, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा गुस्सा करना, आत्महत्या के बारे में सोचना है खुद को नुकसान पहुंचाना मुख्य थे।

उन्होंने कहा की लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं इसलिए किसी तरह का अनावश्यक तनाव लेने से बचे। छात्र-छात्राओं ने वक्ता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जिनका उन्होंने उनको उत्तर देकर संतुष्ट किया।



VINAYAK VIDYAPEETH

Affiliated to CCS University, AKTU, Approved by AICTE & NCTE (A UNIT OF RUDRA GROUP OF INSTITUTIONS)


Ref.	No.	•••••


Date 20/2/2023


EVENT	2 DAVC WORKSTON		
	3 DAYS WORKSHOP ON SELF DEFENSE		
DATE & VENUE	17, 18 & 19 FEBRUARY – 2025, COLLEGE GROUNDS		
RESOURCE PERSON	MR NAGENDRA SINGH, ANTI SEXUAL HARASSMENT CELL, VINAYAK VIDYAPEETH		
NO OF BENEFICIARIES	90 GIRL STUDENTS		
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME	 TO TEACH STUDENTS PRACTICAL SELF PROTECTION TECHNIQUE. TO IMPROVE PHYSICAL & MENTAL FITNESS THROUGH EXERCISES. TO PROVIDE INDIVIDUALS WITH THE SKILLS AND MINDSET TO AVOID AND DEFEND AGAINST HARM. ENSURING SAFETY AND WELL BEING. 		
BRIEF REPORT OF THE PROGRAMME	A THREE DAY WORKSHOP ON SELF DEFENSE FOR GIRL STUDENTS WAS ORGANISED BY THE INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE OF ANTI SEXUAL HARASSMENT CELL. MR. NAGENDRA SINGH, FROM LITTLE DRAGON KUNGFU ACADEMY WAS THE MAIN TRAINEER CUM RESOURCE PERSON FOR THE EVENT. ON FIRST DAY MR.NAGENDRA SINGH, WITH HELP OF TRAINED STUDENTS FROM HIS ACADEMIC DEMONSTRATED VARIOUS SELF DEFENSE TECHNIQUES AND ALSO SHOWED VARIOUS TRICKS DEPICTING THEIR MENTAL HEALTH AND PHYSICAL FITNESS. ON SECOND AND THIRD DAY STUDENTS PRACTISED VARIOUS TECHNIQUES FOR SELF DEFENSE. ON LAST DAY MR NAGENDRA SINGH WAS FELICITATED BY PRINCIPAL AND DIRECTOR OF VINAYAK VIDYAPEETH		
PROGRAMME OUTCOME	 THE EVENT HELPED IN EMPOWERING GIRL STUDENTS BY BOOSTING THEIR CONFIDENCE. IT INCREASED THEIR AWARENESS RELATED TO POTENTIAL THREATS. IT INCREASED THEIR AWARENESS RELATED TO THEIR MENTAL AND PHYSICAL FITNESS. 		

Than













WWWWITHE

APPROVED BY AICTE & NCTE & AFFILIATED TO AKTU & CCSE, MEERUT
Internal Complaint Committee

Organising

3 DAYS WORKSHOP

On

SEFENSE DEFENSE




17-19th February, 2025 | 10.00 am


MR. NAGENDER SINGH


TRAINER: Little Dragon Kung-Fu Academy, Meerut.

FOR MORE DETAILS CONTACT + 91 91490 14088











'हालात जैसे भी हों, खुद को कमजोर न होने दें'



मोदीपुरम (जनवाणी: विनायक विद्यापीठ के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी द्वारा छात्राओं के लिए तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें ड्रैगन कुंग फू एकेडमी, मेरठ के निदेशक, प्रशिक्षक नगेंद्र सिंह उपस्थित हुए। वर्कशाप के दौरान नगेंद्र सिंह ने छात्राओं को सेल्फ

डिफेंस की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी। प्राचार्या डॉ . अनुप्रीता शर्मा ने कहा कि हालात जैसे भी हो खुद को कमजोर न होने दे, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सभी छात्राओं को आत्म रक्षा में निपुण होना चाहिए। निदेशक इंजी. विकास कुमार ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं में न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अंत में प्रशिक्षक नगेंद्र सिंह को महाविद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीन एकता सिंधु, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रवीन शर्मा, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष अनिशा देशवाल एंड प्रॉक्टर सीमा चौघरी के अलावा सभी विभाग अध्यक्ष एवं फैकल्टी मेंबर्स मौजद रहे।

वर्कशॉप आयोजित "हालात जैसे भी हो खुद को कमजोर न होने दे : डॉ अनुप्रिता शर्मा"

विनायक विद्यापीठ में तीन दिवसीय सल्फ डिफस वकशाप आयाजित

र सरित जागे के जापना से अरद बजा की हो हो बजा शारी कुड़ डीमी डार्मी दे मार बजा शारी कुड़ डीमी डार्मी दे मार बजा शारी कुड़ डीमी डार्मी दे मार बजा मार किया के मार किया मार किया मीत किया में मार किया किया मार डिमार्स के अवोध्यय किया कैसे सूर्विता शार प्रकार डार्मी है के निरोक्त, होस्पास नंदी, हुई बोर्डिंग का मीर्ट्डिंगन की है के निरोक्त, होस्पास नंदी, हुई बोर्डिंग का मीर्ट्डिंगन की है के मिरोक्त, होस्पास नंदी, हुई बोर्डिंग का मीर्ट्डिंगन की है के निरोक्त, होस्पास नंदी, हुई बोर्डिंग का मीर्ट्डिंग, की है के निरोक्त, होस्पास नंदी, हुई बोर्डिंग का मीर्ट्डिंग, का है के निरोक्त, होस्पास नंदी आहर्य मीर्ट्डिंग, की है के निरोक्त, होस्पास कर्मिया मार्टिव्हान को होस्सा दिवा मार्डिव्हान को होस्सा दिवा मार्डिव्हान को हास्सा हम प्रकार को स्थान हम्मे



तीर पर सुर्राधत बसना है, उन्होंने द्याहाओं का संबोधित करते हुए कहा कि हालाल जैसे भी हो खुद को कमजोर न होते दे उन्होंने कहा क्रमान पेंट्स्व को देखते हुए सभी छात्रओं को अन्य रक्षा में निपुत्र होता चाँहर, ताँक वे निषीक होकर जीवन व्यक्तित कर सकें और किसी भी तरह की मुशीबर अने पर इसका अजिला देशकाल ऐंड प्रीक्टर लाभ उठा सके। यही पिटेशक इंग्री, भीवारी के अलावा सभी है विकास कुमार ने बताया कि अध्यक्ष एवं पैकलटी मैंबर्स अञ्चलका प्रतिकृत्य दशकों में न रहे।

प्रतिकृष्ण गाम् । १०० का मध्यान्याय इत स्पृति चिन्त देकर सम्मान्य किया इस दौरान डीन एकता मिथु ट्रॉन एंड प्लामॉट ऑफ्स प्रवीत सुम्म, मैनेजमेंट विधानाप्यव

विनायक विद्यापीट में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप

मोदीपरम। विनायक विद्यापीठ के इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी द्वारा छात्राओं के लिए तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें डैगन कुंग फु एकेडमी, मेरठ के निदेशक, प्रशिक्षक नगेंद्र सिंह उपस्थित हुए। वर्कशाप के दौरान नगेंद्र सिंह ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डीन एकता सिंधु, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रवीन शर्मा, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष अनिशा देशवाल एंड प्रॉक्टर सीमा चौधरी

के अलावा सभी विभाग अध्यक्ष एवं फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे।



विनायक विद्यापीठ में तीन दिवसीय सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप आयोजित

कमजेर व होने दे - इ

ह। विन्ययक विद्यापीट के इंटर्नल सेंट कमेंटी हारा आआओं के निस् र दिवर्हीय संस्कृतिकेत प्रकेशीय आयोजन किया गया जिसमें हैंगन हुन कु एकडना, सरव के निराज्य प्रतिश्वक की नगेर सिंह उपरियत्त हु। वर्केट्स के दीवन नगेरे सिंह ने हाजाओं को सेएक डिफेस की विभिन्न तकनी की के बारे में बानकारी दी । उन्होंने हाजाओं को विषम विभिन्न ते के साध्यम से अन्त हारस्थात न पच के माध्यम से अरना (ब्बाय कैसे करे चताया। यही कु० इंडिंग्ड इन्मिट ने सर से टाइन से इक्ट एखें को आरम्पर्यक्ति किया। नगेंद्र रिंह्य ने कावार्धी को साम के परिवेश में कैसे सुधीका होकर एक बेहतर जीवन कार्यत हो पर प्रकास हानते



उद्दर्भ कारक है, उन्होंने झाजाओं सं संबंधित करते हुए, कहा कि एकता तीय की सु क्या कार कर एकता तीय की सु क्या कार्यावर न होने दे दनतेने कहा सर्वावय चीद्रस्थ और संबंधित कर्याची झाजाओं थी अव्य एक में दिवस होना चारित, तार्वव में एक में दिवस होना चारित, तार्वव में तिर्में कोस्पर संवत चार्यात कर सके और स्मित्री की तरह को मुन्निया अने

हालात जैसे भी हो खुद को कमजोर न होने दें : अनुप्रिता शर्मा



मेरठ, १९ फरवरी (देशवन्धु)। विनायक विद्यापीठ के इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी द्वारा छात्राओं के लिए तीन दिवसीय संल्फ डिफेंस वर्कशांप का आयोजन किया गया जिसमें हैगन कुंगफू एकेडमी, मेरठ के निदेशक, प्रशिक्षक नगेंद्र सिंह उपस्थित हुए वर्कशाप के दौरान नगेंद्र सिंह ने वकरात्र क ६३४न नगर १४० न छत्राओं को सेल्फ डिफेंस की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दी। महाविद्यालय की प्राचार्या द्वा. अनुप्रोता शर्मा ने कहा

कि हमारा इस वर्कशॉप को कराने इसका मुख्य उददेश्य खत्राओं को सामाजिक तौर पर सुरक्षित बनाना है उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हालात जैसे भी हो सुद को कमजोर न होने दे। इस दौरान डोन एकता सिंधु ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रवीन शर्मा मैनेडमेंट विभागाध्यक्ष अनिष् देशवाल एंड प्रॉक्टर सीमा चौधरी अलावा सभी विभाग अध्यक्ष र फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे।

विद्यापीट में सेल्फ डिफेंस

वर्कशॉप



Guidelines for Internal Complaint Committee & Anti Sexual Harassment Cell



EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] No. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च्तर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रुप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

- 1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:— (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च्तर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएगे।
 - (2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।
 - (3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।
- 2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में-वशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरुरी है:-
- "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला-चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;
- "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम,
- "परिसर" का अर्थ उस रथान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि रिथत हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो-जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

VISHAKA GUIDELINES

The Vishaka Guidelines were a set of procedural guidelines for use in India in cases of sexual harassment. They were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act.

Background

Pre-1997 the person facing sexual harassment at workplace had to lodge a complaint under Section 354 of the Indian Penal Code 1860 that deals with the 'criminal assault of women to outrage women's modesty', and Section 509 that punishes an individual/individuals for using a 'word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.

During the 1990s, Rajasthan state government employee Bhanwari Devi who tried to prevent child marriage as part of her duties as a worker of the Women Development Programme was raped by the landlords of the community. The feudal patriarchs who were enraged by her (in their words: "a lowly woman from a poor and potter community") 'guts' decided to teach her a lesson and raped her repeatedly. The rape survivor did not get justice from Rajasthan High Court and the rapists were allowed to go free. This enraged a women's rights group called Vishaka that filed a public interest litigation in the Supreme Court of India.

This case brought to the attention of the Supreme Court of India, "the absence of domestic law occupying the field, to formulate effective measures to check the evil of sexual harassment of working women at all work places."

Vishakha vs. State of Rajasthan

In 1997, the Supreme Court passed a landmark judgment in the same Vishaka case laying down guidelines to be followed by establishments in dealing with complaints about sexual harassment. Vishaka Guidelines were stipulated by the Supreme Court of India, in Vishakha and others v State of Rajasthan case in 1997,

regarding sexual harassment at workplace. The court stated that these guidelines were to be implemented until legislation is passed to deal with the issue.

The court decided that the consideration of "International Conventions and norms are significant for the purpose of interpretation of the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Articles 14, 15 19(1)(g) and 21 of the Constitution and the safeguards against sexual harassment implicit therein."

What is sexual harassment

Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior (whether directly or by implication) as:

a) physical contact and advances; b) a demand or request for sexual favors; c) sexually colored remarks; d) showing pornography; e) any other unwelcome physical verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Where any of these acts is committed in circumstances where the victim has a, reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem.

It is discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment.

Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.

Thus, sexual harassment need not involve physical contact. Any act that creates a hostile work environment - be it by virtue of cracking lewd jokes, verbal abuse, circulating lewd rumours etc. counts as sexual harassment.